क्रम-संख्या 318(घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०-91 / 2011-13
लाइसेन्स दू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2011

पौष 1, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग--3

संख्या 2484 / 77-3-11-94भा०-07टी०सी०

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प०आ०-643

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 4246 / 77-4-07-94भा-07टी०सी०, दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के आंशिक उपान्तरण में राज्यपाल "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण" को गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो।	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो।	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो।	सदस्य

(ङ) सचिव, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। — सदस्य

(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। — सदस्य

(छ) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। — सदस्य सचिव

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2484/LXXVII-3-11-94Bha-07 T.C., dated December 22, 2011:

No. 2484/LXXVII-3-11-94Bha-07 T.C.

Dated Lucknow, December 22, 2011

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) and in partial modification of government notification no. 4246/LXXVII-04-07-94bha-07T.C., dated December 27, 2007 the Governor is pleased to Constitute the "Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority" Consisting of the following:-

(a) Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority. — *Chairman*

(b) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary. — *Member*

(c) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary. — *Member*

(d) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary. — *Member*

(e) Secretary/Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Infrastructure and Industrial Development Department. — *Member*

(f) Managing Director, Uttar Pradesh Industrial Development Corporation. — *Member*

(g) Additional Chief Executive Officer Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority. — *Member Secretary*

By order,
ALOK KUMAR,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 601 राजपत्र (हिं०)--2011--(1473)--500+60=640 प्रतियां (का०/आ०)।